27/11/2019 . पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरपक्ष उप.। आवेदन पत्र पर उत्तरपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पक्षीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर स्था० पृ० किया गया। प्रा० फैसला शुमार रेकर्ड नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 33/2015

उनवान

1. श्री कालू पिता स्व. लालाजी डांगी निवासी बण्डोली तहसील सराडा जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वाला पिता स्व. लालाजी डांगी निवासी बण्डोली तहसील सराडा जिला उदयपुर।
2. श्री दल्ला पिता नाथूजी डांगी निवासी बण्डोली तहसील सराडा जिला उदयपुर।
3. श्री धुला पिता गोतमा जी डांगी निवासी बण्डोली तहसील सराडा जिला उदयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 27.11.2019

उपस्थितिः–

1. श्री अमरसिंह मीणा अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री केवालाल पटेल अभिभाषक विपक्षीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा बण्डोली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा खाता सं. नया 93 संवत् 2068–71 कुल किता 38 कुल रकबा 6.94 हेक्टेयर में प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सामलाती खातेदारी है,तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य मौखिक बंटवारा कर अपने हिस्से पर काबिजकाश्त है। मुझ प्रार्थी के पिता एवं माता की मृत्यु हो जाने पर विपक्षी सं. 01 जो मेरा बडा भाई

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

है वो विपक्षी सं. 02 व 03 के साथ मिलकर मुझे बंटवारे में प्राप्त भूमि पर दिनांक 22.06.2015 को कृषि भूमि के चारों ओर बनी कोट को गिरा दिया और धमकी दी कि यह तेरा खेत नहीं है। आज के बाद यहां खेती की तो जान से मार डालेंगे। अतः वादग्रसत आराजी का हिस्से अनुसार एवं मिट्स एण्ड बाउडस बंटवारा किया जावे। तबतक के लिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी के हक हिस्से में आई आराजी में दखलंदाजी ना करें, ना ही अन्य दूसरे से करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री केवालाल पटेल उपस्थित हुए। विपक्षीगण को पूर्व में जवाब पेश करने हेतु काफी अवसर दिये गये। नियत पेशी दिनांक 27.11.2019 को अधिवक्ता विपक्षीगण के द्वारा जवाब पेश ना कर सीधे बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। दावों/प्रार्थनापत्रों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जावे।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी एवं विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि मौजा बण्डोली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा खाता सं. नया 93 संवत् 2068–71 कुल किता 38 कुल रकबा 6.94 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द्र धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner